

## फर्द अहकाम

### कार्यालय सहायक कलक्टर(SDO) मावली, उदयपुर

प्रार्थी : श्री परथा

विपक्षी : राज्य

किस्म मुकदमा – 136 भूराजस्व अधिनियम

पत्रावली संख्या : 17/21

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्श्व तथा सूचनाएं जारी की गईं
	<p>दिनांक : 05.01.2022</p> <p>पत्रावली प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 कैम्प आमली में पेश हुई। अधिवक्ता उभय पक्षकारान उपस्थित। राजपैरोकार द्वारा अपने जवाब अनुसार नाम संशोधन किया जाने पर सहमति व्यक्त की। उभय पक्षकारान को सुना गया।</p> <p>हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। प्रार्थी द्वारा राजस्व रेकार्ड में प्रार्थी का नाम परथा पिता दीपा डांगी गलत अंकित होना बताया जिसे दुरुस्त किया जाने का निवेदन किया। राजपैरोकार मावली द्वारा जवाब प्रस्तुत कर नाम गलत अंकित होने से पुनः नाम सही कराने पर कोई आपत्ति जाहिर नहीं की है। प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में आधार कार्ड की प्रति, ग्राम पंचायत विजनवास द्वारा जारी प्रमाण पत्र, गोदनामें की प्रति प्रस्तुत कर नाम संशोधन किया जाने का निवेदन किया। प्रार्थी का नाम राजस्व रेकार्ड में परथा पिता दीपा डांगी दर्ज हैं, जबकि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अपने समस्त दस्तावेजात में प्रार्थी का नाम परथा पिता हीरा अंकित है। प्रकरण में तहसीलदार से प्राप्त रिपोर्ट में भी तहसीलदार द्वारा परथा पिता दीपा और परथा पिता हीरा डांगी एक ही व्यक्ति होना बताया हैं। हीरा पिता उदा ने परथा पिता दीपा को गोद रखा। गोदनामें के आधार पर परथा के सभी दस्तावेजों में परथा का नाम परथा पिता हीरा अंकित कर दिया है परन्तु परथा दीपा की प्राकृतिक सन्तान होने से नामान्तरकरण के दौरान राजस्व रेकार्ड में परथा पिता दीपा अंकित कर दिया है जिसे दुरुस्त किया जाने का निवेदन किया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज के आधार पर प्रार्थी का नाम राजस्व रेकार्ड में गलत अंकित होने से सही किया जाना उचित प्रतीत होता हैं। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।</p> <p style="text-align: center;"><b>—: आदेश :—</b></p> <p>परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू. राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जात है कि मौजा विकरणी पटवार हल्का विजनवास की आराजी नम्बर 951, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 972, 1002, 399, 402, 406, 1097, 901, 903, 954, 983, 1245, 1248, 1249, 1271, 1272, 1273, 1274, 1281, 1282, 1283, 918, 919, 975, 967, 968 भूमि में खातेदार का नाम परथा पिता दीपा डांगी के बजाय परथा पिता दीपा मुतबन्ना हीरा डांगी संशोधन किया जावे। शेष इन्द्राज बदस्तुर रहे। पालना हेतु तहसीलदार मावली को लिखा जावे। पत्रावली फ़ैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो।</p> <p style="text-align: center;">निर्णय सुनाया गया।</p> <p style="text-align: right;">(मयंक मनीष I.A.S.) सहायक कलक्टर (SDO)मावली</p>	

